[2014] 8 एस.सी.आर.305

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

कृपा नंद सिंह और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6692/2014)

23 जुलाई, 2014

[मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ, जे.जे.]

सेवा कानून:

'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' - नियुक्ति - नियुक्ति पत्र के अनुसार नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उसे शामिल होने की अनुमति नहीं थी - नियुक्त व्यक्ति ने इस तथ्य को उच्च अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया - पांच साल बाद ड्यूटी में शामिल हुआ - 10 वर्षों की सेवा के बाद, उन्होंने उस अवधि के लिए वेतन के भुगतान की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब उन्होंने काम नहीं किया था - निचली अदालतों ने दावे को स्वीकार कर लिया। अपील पर, कहा गया: 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' नियम है और 'कोई काम नहीं, फिर भी वेतन' अपवाद है - अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि अपवाद के अंतर्गत आती है, यदि दावेदार यह स्थापित करता है कि गंभीर प्रयासों के बावजूद, वह ड्यूटी में शामिल नहीं हो सका। स्वैच्छिक प्रतीक्षा अवधि अपवाद के अंतर्गत नहीं आती है - वर्तमान मामले में, दावेदार यह दिखाने में विफल रहा कि उसने गंभीर प्रयास किए हैं ड्यूटी में शामिल होने के लिए, एक बार उसे ड्यूटी में शामिल होने से मना कर दिया गया था - इसलिए, शामिल होने से इनकार करने की तारीख से लेकर उसके ड्यूटी में शामिल होने की तारीख तक की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि नहीं कहा जा सकता है - इसलिए नियुक्त व्यक्ति उस अवधि के लिए वेतन के लिए पात्र नहीं है।

प्रतिवादी को राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें नियुक्ति पत्र की तारीख यानी 5.2.1986 से 21 दिनों की अवधि के भीतर ड्यूटी में शामिल होने के लिए एक विशेष स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर यानी 24.2.1986 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट की, लेकिन उसे इस आधार पर शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई कि राजनीति विज्ञान के लिए शिक्षक पहले से ही मौजूद थे। विभाग से एक पत्र प्राप्त कर पांच वर्ष बाद दिनांक 17.2.1991 को ड्यूटी में शामिल हुए | ड्यूटी में शामिल होने के दस साल बाद, उन्होंने 24.2.1986 से 16.7.1991 तक की अवधि के लिए वेतन का दावा करते हुए रिट याचिका दायर की। नीचे की अदालतों द्वारा दावे की अनुमति दी गई थी। इसलिए राज्य द्वारा वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

धारित: 1. 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं', नियम है और 'कोई काम नहीं, फिर भी वेतन', अपवाद है। अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि ऐसा ही एक अपवाद है। लेकिन अपवाद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक कर्मचारी को यह स्थापित करना होगा कि उसने गंभीर प्रयास किए थे और फिर भी वह अपनी ओर से बिना किसी गलती के ड्यूटी पर शामिल नहीं हो सका। उन्हें भी ड्यूटी में शामिल करने के लिए तत्परता दिखानी होगी। स्वैच्छिक प्रतीक्षा अवधि अपवाद में शामिल नहीं है। [पैरा 2] [307-एफ]

2. यह स्थानांतरण का मामला नहीं है जैसा कि डिवीजन बेंच ने गलत तरीके से नोट किया है। यह पहली नियुक्ति का मामला है। प्रथम प्रतिवादी नियुक्ति पत्र के अनुसार स्कूल में ड्यूटी पर शामिल नहीं हो सका । सच है, स्कूल के हेडमास्टर ने नियुक्ति स्वीकार नहीं की थी, लेकिन पहले प्रतिवादी को यह मामला उच्च अधिकारियों के सामने लाना जरूरी था क्योंकि उसे नियुक्ति आदेश के अनुसार दिनांक 05.02.1986 को नियुक्ति पत्र जारी होने के 21 दिनों के भीतर ड्यूटी पर शामिल होना था। रिट याचिकाओं में या इस न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में इस बात की कोई फुसफुसाहट नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी अन्य स्कूल में ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए कोई गंभीर प्रयास किया था। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वह पांच साल से उस स्कूल में ड्यूटी मे शामिल करने के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जहां पद खाली है। यदि नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पहले स्थान पर ड्यूटी शामिल नही हो पाता है तो उसे मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए और अपनी नियुक्ति बचाने के लिए किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति की मांग किया जाना था। प्रथम प्रतिवादी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने 1991 तक इंतजार किया जब तक कि उन्हें 17.07.1991 का मेमो नहीं मिल गया। [पैरा 8] [309-ई-एच; 310-ए-बी]

2. प्रतिवादी के आचरण से पता चलता है कि वह गलती पर था। दूसरी नियुक्ति पाने के लिए उन्होंने पांच साल तक इंतजार किया। उन्होंने उक्त अवधि में किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी पर शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था। उनकी रिट याचिका जाहिर तौर पर उनकी पसंद की जगह पर ड्यूटी शामिल होने के दस साल बाद की है। हालाँकि आदेश दिनांक 05.02.1986 का है, लेकिन उन्होंने 17.07.1991 को ही ड्यूटी में शामिल हुए थे । ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि 24.02.1986 से 16.07.1991 के बीच की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि माना जाएगा। यह वास्तव में एक स्वैच्छिक प्रतीक्षा अवधि है। [पैरा 9] [310-ई-जी]

पटना उच्च न्यायालय के एलपीए संख्या 1061/2009 में दिनांक 14.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से गोपाल सिंह और मनीष कुमार।

प्रतिवादियो की ओर से एस. के. सिन्हा, सुषमा सूरी, तपेश कुमार, बिमलेश कुमार सिंह।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

कुरियन, जे.: 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं', नियम है और 'कोई काम नहीं, फिर भी वेतन', अपवाद है। अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि ऐसा ही एक अपवाद है। लेकिन अपवाद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक कर्मचारी को यह स्थापित करना होगा कि उसने गंभीर प्रयास किए थे और फिर भी वह अपनी ओर से बिना किसी गलती के ड्यूटी पर शामिल नहीं हो सका। उन्हें भी ड्यूटी मे शामिल होने के लिए तत्परता दिखानी होगी। स्वैच्छिक प्रतीक्षा अवधि अपवाद में शामिल नहीं है।

3. प्रथम प्रतिवादी को मेमो नं. 400-548 दिनांकित 05.02.1986 के अनुसार राजनीति विज्ञान में शिक्षक नियुक्त किया गया था और उन्हें 21 दिनों के भीतर हाई स्कूल, किस्को, लोहरदग्गा में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने 24.02.1986 को ड्यूटी पर रिपोर्ट किया। हालाँकि, उनका नियुक्ति आदेश प्रधानाध्यापक द्वारा निम्नानुसार समर्थन के साथ लौटा दिया गया था:

"शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक, बुद्धमार्ग, पटना द्वारा जारी मेमो नं. 400-548 दिनांकित 5 फरवरी 1986 के अनुसार श्री कृपानंद सिंह (सहायक शिक्षक) की नियुक्ति राजनीति विज्ञान विषय में की गयी है।

इस विद्यालय में पहले से ही राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विषय के शिक्षक कार्यरत हैं। इस विद्यालय में हिंदी विषय का मात्र एक पद रिक्त है।

इसलिए उनका इस विद्यालय में नियुक्ति स्वीकार करना संभव नहीं है।"

4. पांच वर्ष बाद, उप शिक्षा निदेशक, पटना द्वारा निर्गत मेमो नं.1736-79 दिनांक 17.07.1991 द्वारा प्रथम प्रतिवादी को हाई स्कूल सहजादपुर (मधेपुरा) में पदस्थापित किया गया। हालाँकि, वहाँ भी कोई पद रिक्त नहीं था। अत: अपर शिक्षा निदेशक, दरभंगा एवं कोसी प्रमंडल द्वारा जारी मेमो नं. 333-6 दिनांकित 24.07.1991 द्वारा प्रथम प्रतिवादी को हाई स्कूल बलवाहाट (सरहरसा) में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।

5. अपनी ड्यूटी में शामिल होने के दस साल बाद, पहले प्रतिवादी ने 24.02.1986 से 16.07.1991 की अवधि के वेतन के भुगतान के लिए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष ई रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16087/2001 दायर की। उक्त रिट याचिका को नये सिरे से

अभ्यावेदन देने के निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया गया। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि:

"यदि याची नियुक्ति के दोषपूर्ण आदेशों के कारण शामिल होने में असमर्थ है और यदि प्रश्नाधीन अवधि के दौरान किसी भी पद पर शामिल नहीं हो पाने के लिए उसकी कोई गलती नहीं है, तो विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई गलतियाँ के लिए उसे वेतन देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

6. दिनांक 21.09.2002 के आदेश द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इसे 2003 की रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 126 में चुनौती दी गई, जिसके बाद 03.03.2009 को फैसला सुनाया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि सरकार ने न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उचित आदेश पारित नहीं किया। आगे यह माना गया कि 24.02.1986 से 16.07.1991 की अवधि के लिए वेतन के दावे की अस्वीकृति को जवाबी हलफनामे में स्पष्ट नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, हेडमास्टर ने रिक्त पद की अनुपलब्धता के कारण पहले प्रतिवादी को ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी और उसके बाद केवल 1991 में तैनाती की गई थी, जिसके अनुसार वह 17.07.1991 को पहली बार ड्यूटी में शामिल हुए थे। प्रतिवादी 24.02.1986 से 16.07.1991 की अवधि के लिए वेतन का हकदार है। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। डिवीजन बेंच ने एक क्रिप्टिक आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जो इस प्रकार है:

"... विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को वेतन के भुगतान का सही निर्देश जारी किया है। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला है, रिट याचिकाकर्ता स्थानांतरण के आदेश में दोष के कारण शामिल नहीं हो सका, न कि किसी अपने ही कारण से।"

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील को सुना।

8. सबसे पहले, यह ध्यान देना होगा कि यह स्थानांतरण का मामला नहीं है जैसा कि डिवीजन बेंच ने गलत तरीके से नोट किया है। यह पहली नियुक्ति का मामला है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रथम प्रतिवादी ने किस्को, लोहरदग्गा में नियुक्ति पत्र के अनुसार स्कूल में ड्यूटी नहीं की थी। सच है, स्कूल के हेडमास्टर ने नियुक्ति स्वीकार नहीं की थी, लेकिन पहले प्रतिवादी को यह मामला उच्च अधिकारियों के सामने लाना जरूरी था क्योंकि उसे नियुक्ति आदेश के अनुसार दिनांक 05.02.1986 को नियुक्ति पत्र जारी होने के 21 दिनों के भीतर ड्यूटी शामिल होना था । रिट याचिकाओं या इस न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में इस बात की कोई फुसफुसाहट नहीं है कि पहले प्रतिवादी ने किसी अन्य स्कूल में ड्यूटी में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई गंभीर प्रयास किया था। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वह पांच साल से उस स्कूल में ड्यूटी में शामिल करने के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जहां पद खाली है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, यह किसी

कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का मामला नहीं है। यह नयी नियुक्ति का मामला है। यदि नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पहले स्थान पर ड्यूटी शामिल नही हो पाता, तो उसे मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए था और किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति की मांग करनी चाहिए थी, ताकि उसकी नियुक्ति बचाई जा सके। पहले प्रतिवादी द्वारा उस प्रकार का कुछ भी नहीं किया गया था। उन्होंने 1991 तक इंतजार किया जब तक कि उन्हें 17.07.1991 का मेमो नहीं मिल गया। जैसा कि अपर निदेशक द्वारा दिनांकित 24.07.1991 के पत्र में अंकित किया गया है:

"श्री सिंह ने विभागीय आदेश के अनुपालन में हाई स्कूल सहजादपुर (मधेपुरा) में दिनांक 17.7.1991 को कार्यभार ग्रहण किया था। इन परिस्थितियों में श्री सिंह का वेतन दिनांक 17.7.1991 से नव पदस्थापन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसे प्रतीक्षा अवधि मानते हुए अपूर्ब हाई स्कूल बलवाहाट सहरसा द्वारा बनाया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

9. 2001 के सीडब्ल्यूजेसी 16087 में मुकदमेबाजी के पहले दौर के 31.01.2002 के फैसले में, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 24.02.1986 से 16.07.1991 के बीच की अवधि के लिए वेतन के लिए उनका अधिकार निर्भर करेगा। प्रश्नगत अवधि के दौरान किसी भी पद पर शामिल होने में उनकी गलती है या नहीं, उनका आचरण यह दर्शाता है कि वह गलती पर थे। दूसरी नियुक्ति पाने के लिए उन्होंने पांच साल तक इंतजार किया। उन्होंने उक्त अवधि में किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था। उनकी रिट याचिका जाहिर तौर पर उनकी पसंद की जगह पर ड्यूटी में शामिल होने के दस साल बाद की है। हालाँकि आदेश दिनांक 05.02.1986 का है, लेकिन उन्होंने 17.07.1991 को ही ड्यूटी में शामिल हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि 24.02.1986 से 16.07.1991 के बीच की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि माना जाएगा। यह वास्तव में एक स्वैच्छिक प्रतीक्षा अवधि है।

10. तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की फाइलों पर 2003 की रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 126 खारिज कर दी गई है।

11. खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

कल्पना के त्रिपाठी अपील की अनुमति।